"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013—ज्येष्ठ 24, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2013

क्रमांक 358/150/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सैय्यद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 28-01-2013 से 02-02-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25, 26 एवं 27-01-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2013

क्रमांक 360/257/अव./2013/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-04-2013 से 27-04-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक 363/337/अव./2013/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 13-05-2013 से 17-05-2013 तक 05 दिवस एवं दिनांक 27-05-2013 से 01-06-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11, 12, 18, 19, 25 एवं 26-05-2013 तथा 02-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सोनी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2013

क्रमांक 441/380/अव./2013/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 13-05-2013 से 17-05-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11, 12, 18 एवं 19-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लेवे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2013

क्रमांक 444/384/अव./2013/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 27-05-2013 से 01-06-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25, 26-05-2013 तथा 02-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्रमांक 445/402/अव./2013/1-8/स्था.—श्री प्रभात लकड़ा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा), छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 06-06-2013 से 18-06-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लकड़ा, आगामी आदेश तक वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लकड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्रमांक 447/383/अव./2013/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 27-05-2013 से 07-06-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25, 26-05-2013 एवं 08, 09-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्रमांक 449/399/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 27-05-2013 से 07-06-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25, 26-05-2013 तथा 08, 09-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुंदानी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुंदानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुंदानी अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2013

क्रमांक 451/381/अव./2013/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 20-05-2013 से 24-05-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19, 25 एवं 26-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मालवीय, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2013

क्रमांक 1056/1101/2013/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 40 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 में उल्लेखित प्रावधानों के परिपालन में अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2010/16, रायपुर दिनांक 30-03-2010 में निम्नांकित संशोधन अंत:स्थापित किया जाता है—

"प्रदेश के समस्त कारखाना निरीक्षक को, के स्थान पर प्रदेश के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय में पदस्थ समस्त उप संचालक एवं सहायक संचालक को" अंत:स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2013

छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना

क्रमांक एफ 3-9/2013/56.—राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, मेडिकल महाविद्यालयों एवं अन्य तकनीकी श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में वाणिज्य, कला एवं विज्ञान आदि निकायों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को टेबलेट दिये जायेंगे. अत: एतद्द्वारा राज्य शासन के निर्णय के अनुपालन में विद्यार्थियों को नि:शुल्क लैपटॉप/टेबलेट प्रदाय करने हेतु निम्नानुसार योजना जारी करता है—

1. **इस योजना का नाम**—"छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना" होगा. इस योजना में विद्यार्थी को पात्रता अनुसार नि:शुल्क लैपटॉप अथवा टेबलेट प्रदाय किये जायेंगे.

2. **उद्देश्य**—

2.1 राज्य के युवाओं को नई तकनीकों के उपयोग की सुविधा प्रदान कर उनका एवं राज्य का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना.

2.2 युवाओं को नई तकनीक के माध्यम से अपनी ज्ञान क्षमता में वृद्धि कर श्रेष्ठ कैरियर निर्माण में सहयोग प्रदान करना.

2.3 राज्य में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देना.

3. **योजना की अवधि**—

3.1 लैपटॉप एवं टेबलेट का वितरण इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किया जायेगा.

3.2 योजनान्तर्गत हितग्राही विद्यार्थी को उसके शैक्षणिक जीवन में राज्य में स्थित किसी भी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में किसी भी संकाय में अध्ययन के दौरान पात्रतानुसार केवल एक ही बार टेबलेट या लैपटाप वितरित किया जायेगा.

4. **योजना का स्वरूप**—

4.1 **नि:शुल्क लैपटॉप वितरण**—

4.1.1 योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष संलग्न सूची क्रमांक-1 में उल्लेखित राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिन्हित तकनीकी श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किये जायेंगे.

4.1.2 इस योजना के अंतर्गत राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अन्य तकनीकी श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थानों का समय-समय पर चिन्हांकन उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जा सकेगा.

4.1.3 हितग्राही विद्यार्थियों का चयन एवं लैपटॉप का वितरण अन्य संबंधित विभागों/संस्थाओं के समन्वय से तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा. इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग संबंधित विभागों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा.

4.1.4 लैपटॉप का क्रय पारदर्शी क्रय प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जायेगा.

4.2 **नि:शुल्क टैबलेट वितरण**—

4.2.1 योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष संलग्न सूची क्रमांक-2 में उल्लेखित राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थाओं में वाणिज्य, कला एवं विज्ञान आदि निकायों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अध्ययनरत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किये जायेंगे.

4.2.2 इस योजना के अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थाओं का समय समय पर चिन्हांकन उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जा सकेगा.

4.2.3 हितग्राही विद्यार्थियों का चयन एवं टैबलेट का वितरण अन्य संबंधित विभागों/संस्थाओं के समन्वय से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा. इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग संबंधित विभागों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा.

4.2.4 टेबलेट का क्रय पारदर्शी क्रय प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जायेगा.

5. **योजना का क्रियान्वयन—**

5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अधीनस्थ संस्था छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बॉयोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) होगी.

5.2 क्रियान्वयन एजेंसी लैपटॉप एवं टेबलेट के स्पेसिफिकेशन का निर्धारण करेगी.

5.3 उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा क्रियान्वयन के लिये जारी दिशा-निर्देश के अनुसार चिप्स योजना का क्रियान्वयन करेगी.

5.4 प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स अर्हताधारी विद्यार्थी को लैपटॉप/टेबलेट वितरण हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग से लैपटॉप की मांग तथा उच्च शिक्षा विभाग से टेबलेट की मांग प्राप्त करेगा एवं बजट हेतु शासन को प्रस्ताव भेजेगा.

5.5 उपरोक्त मांग में प्राप्त संख्या अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं स्पेसिफिकेशन अनुरूप लैपटॉप/टेबलेट क्रय कर एवं उनका तकनीकी परीक्षण कर लैपटॉप तकनीकी शिक्षा विभाग एवं टेबलेट उच्च शिक्षा विभाग को वितरण हेतु उपलब्ध करायेगा.

5.6 तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष लैपटॉप/टेबलेट की प्राप्ति एवं वितरण स्थान, क्रियान्वय एजेंसी, चिप्स को सूचित करेगा.

5.7 स्पेसिफिकेशन अनुसार सही और कार्यशील अवस्था में लैपटॉप/टेबलेट वितरण स्थान पर प्रदान करने का दायित्व चिप्स का होगा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग लैपटॉप/टेबलेट की प्राप्ति एवं वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करेंगे.

5.8 तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग अर्हताधारी विद्यार्थी को यथास्थिति अनुसार लैपटॉप/टेबलेट का वितरण सुनिश्चित करेगा. वितरण के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र में हितग्राही विद्यार्थियों की सूची चिप्स को उपलब्ध करायेगा.

5.9 योजना अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची चिप्स की वेबसाईट www.chips.gov.in राज्य शासन की वेबसाईट www.cg.gov.in पर प्रदर्शित की जाएं. संबंधित शैक्षणिक संस्था के सूचना फलक पर उस संस्था के लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची चस्पा की जाएं.

5.10 वितरित लैपटॉप एवं टेबलेट का वारंटी पीरियड में मेंटेनेंस की व्यवस्था का दायित्व चिप्स का होगा जो संबंधित प्रदायकर्ता के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी.

6. **वित्तीय व्यवस्था—**

6.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा राज्य के बजट या अन्य मदों से सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में प्रावधान उपलब्ध कराया जायेगा. सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स को राशि उपलब्ध कराई जायेगी.

6.2 चिप्स को जिस स्तर से राशि प्राप्त होगी उसे राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व चिप्स का होगा.

6.3 लैपटॉप/टेबलेट के क्रय मूल्य के अलावा योजना में क्रियान्वयन हेतु निविदा जारी करने, सॉफ्टवेयर लोड करने एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों हेतु चिप्स बजट प्रावधान पर 1 प्रतिशत तक का व्यय कर सकेगा.

7. **उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन—**

7.1 योजना के क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की जायेगी—

7.1.1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
7.1.2	अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
7.1.3	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
7.1.4	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	सदस्य
7.1.5	प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी	सदस्य
7.1.6	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य
7.1.7	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य
7.1.8	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
7.1.9	सचिव, विधि विभाग	सदस्य
7.1.10	सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
7.1.11	संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
7.1.12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सचिव

7.2 इस समिति के प्रमुख दायित्व इस प्रकार होंगे—

7.2.1 योजना क्रियान्वय के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करना.
7.2.2 क्रय प्रक्रिया का निर्धारण करना.
7.2.3 योजना की प्रगति की समीक्षा करना.
7.2.4 योजना के लिए वित्तीय प्रबंध करना.
7.2.5 लैपटॉप एवं टेबलेट का स्पेसिफिकेशन चिप्स की सलाह पर अनुमोदित करना.
7.2.6 हितग्राहियों के चयन हेतु अर्हता का निर्धारण.
7.2.7 अंतर्विभागीय समन्वय एवं कठिनाईयों का निराकरण करना.
7.2.8 योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अन्य विषयों पर समीक्षा कर दिशा-निर्देश जारी करना.

8. मानिटरिंग—

8.1 योजना के क्रियान्वयन की मानिटरिंग सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जायेगी.

8.2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसाओं पर दिशा निर्देश जारी कर सकेगा एवं उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगा.

9. यह योजना दिनांक 01 फरवरी 2013 से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप सचिव.

सूची—1

विभिन्न संकायों की सूची जिनमें अध्ययनरत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किये जायेंगे

क्र. (1)	संकाय का नाम (2)	Name of Course (3)
1.	राज्य में समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी	All students of Engineering College of State
2.	राज्य में समस्त मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी	All students of Medical College of State

(1)	(2)	(3)
3.	बी डी एस	BDS
4.	बी ए एम एस	BAMS
5.	बी. एच. एम. एस.	BHMS
6.	दुग्ध प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग	Dairy Technology Engineering
7.	एम टेक/एम ई/पीएच डी (इंजी.)	M. Tech./M E/Ph D (Engg.)
8.	एम सी ए	MCA
9.	बी आर्क	B Arch
10.	बी एससी कृषि/उद्यानिकी	B Sc Agri/Horti
11.	एम एससी/पीएच डी कृषि	M Sc/Ph D Agri
12.	बी टेक कृषि	B Tech Agri
13.	एम टेक/पीएच डी कृषि इंजी	M Tech/Ph D Agri Engg
14.	बी यू एम एस	BUMS
15.	बी एन वाय एस	BNYS
16.	बी वी एससी	BV Sc
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के विद्यार्थी, जो इस सूची में दर्शाये संकायों में अध्ययनरत हैं.	Students of National Institute of Technology, Raipur, those studing in course of this list.
18.	गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी.	Student of CG Engineering College under Guru Ghasidas Central University, Bilaspur.

सूची—2

विभिन्न संकायों की सूची जिनमें अध्ययनरत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किये जायेंगे

क्र. (1)	संकाय का नाम (2)	Name of Course (3)
1.	कला	Arts
2.	वाणिज्य	Commerce
3.	विज्ञान	Science
4.	एलएल बी/एलएल एम	LL B/LL M
5.	बी एस सी नर्सिंग	B Sc Nursing
6.	बी पी टी	BPT
7.	बी फार्मा	B Pharma
8.	डी फार्मा	D Pharma
9.	एम फार्मा	M Pharma
10.	पॉलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थी	Students of Ploytechnic Institute
11.	एम बी ए	MBA
12.	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी.	Student of Kushabhau Thakre Journlasim University
13.	हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय अंतर्गत एलएल बी/एलएल एम के विद्यार्थी.	Student of LL B/LL M under/Hidayatulla Law University.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक एफ 1-1/2013/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. के. मजुमदार, कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16-05-2013 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक (विभागाध्यक्ष) के पद पर-वेतनमान रुपये 15600-39100/-+ग्रेड वेतन 7600/- में पदोन्नत करते हुए, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ.ग., रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि विभागाध्यक्ष का एकांकी पद होने के कारण पदोन्नति के लिये आरक्षण संबंधी नियम लागू नहीं होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/एफ 9-20/32/2005.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए डोंगरगांव, निवेश क्षेत्र जो इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 2007 द्वारा गठित किया गया था. राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्रामों के नामों में सुधार करती हैं जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई हैं :—

अनुसूची

डोंगरगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम जासरारकला के स्थान पर जामसरारकला एवं भवरगुड के स्थान पर भटगुना पढ़ा जाये.

पूर्व में : ग्राम भवरगुड के स्थान पर भटगुना एवं करेथी के स्थान पर करेठी तथा बधहम के स्थान पर बड़भूम पढ़ा जाये.

दक्षिण में : ग्राम बधहम के स्थान पर बड़भूम एवं बेदरकट्टा के स्थान पर बेंदरकट्टा पढ़ा जाये.

पश्चिम में : ग्राम मायलडबरी के स्थान पर माथलडबरी पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2013

क्रमांक एफ-16-202/2012/25-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 21 की उपधारा (1) के प्रावधानानुसार कार्यालय आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर में नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नानुसार पद सृजित करता है :—

क्र. (1)	नाम पद (2)	वेतन बैंड (3)	ग्रेड वेतन (4)	पद संख्या (5)
1.	संयुक्त संचालक	15600-39100	7600	01
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	15600-39100	5400	01
3.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4300	01
4.	अनुसंधान सहायक	9300-34800	4300	01
5.	अन्वेषक	5200-20200	2400	01
6.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	01
7.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	02
8.	भृत्य	4750-7440	1300	02
	योग	—	—	10

2. उपर्युक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:—

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.

(2) स्वीकृत ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.

3. उक्त व्यय मांग संख्या 64 मुख्यशीर्ष 2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-102 आर्थिक विकास-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना 9550 नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रचार प्रसार एवं प्रशासकीय सुदृढ़ीकरण 01 वेतन भत्ते आदि के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. इस स्वीकृति पर वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 165/2013-25-00008/वित्त विभाग/ब-3/2013 दिनांक 23-4-2013 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक एफ 6-25/2013/वा.क.(आब.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2008 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में

अनन्तिम (provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला आबकारी अधिकारी के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री यदुनंदन राठौर, पिता-स्व. श्री एन. आर. राठौर C/o श्री महेन्द्र राठौर (शिक्षक), न्यू चंदनिया पारा, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन 495 668.	अनारक्षित	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.
2.	2	श्री विकास कुमार गोस्वामी, पिता-श्री विनोद गोस्वामी, गोस्वामी मेडिकल स्टोर्स, पोस्ट-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन 491 661	अनारक्षित	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग.
3.	3	श्री नवीन प्रताप सिंह तौमर, पिता-श्री भगवान सिंह तौमर, मकान नंबर 295, तानसेन नगर, हजीरा, ग्वालियर (म. प्र.) पिन 474 002	अनारक्षित	कार्यालय, सहायक आयुक्त, आबकारी, जिला-राजनांदगांव.
4.	4	श्री राजेश जायसवाल, पिता-श्री हरि प्रसाद जायसवाल, C/o श्री शिवप्रसाद जायसवाल, एम.डी./385, दीपका कालोनी, कोरबा (छ.ग.) पिन 495 452	अ.पि.व.	कार्यालय, सहायक आयुक्त, आबकारी, जिला-रायगढ़.
5.	5	मंजुश्री कसेर, पिता-श्री एस. बी. कसेर, सी-358, मधु बुटीक लाईन, प्रियदर्शिनी नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन 492 001	अ.पि.व.	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-महासमुंद.
6.	6	श्री दिनकर वासनिक, पिता-डॉ. पन्नालाल वासनिक, वार्ड नंबर 16, गली नंबर 04, तुलसीपुर, ममता नगर, राजनांदगांव (छ.ग.) पिन 491 441	अ.जा.	कार्यालय, उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर
7.	7	श्री मुकेश कुमार, पिता-स्व. श्री जगेशर, कंडरापारा, वार्ड नं. 10, थाना/तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन 491 661	अ.ज.जा.	कार्यालय, सहायक आयुक्त, आबकारी, जिला-कोरबा.

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2013

क्रमांक एफ 1/84/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एम. एस. तोमर, भा.पु.से. तत्कालीन अति. परिवहन आयुक्त वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक छसबल पुसिल मुख्यालय, रायपुर को स्वयं की बीमारी के ईलाज हेतु दिनांक 11-03-2013 से 23-03-2013 तक (कुल 13 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत करते हुये डॉ. तोमर, भापुसे. को दिनांक 09, 10 एवं 24 मार्च 2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ प्रदान किया जाता है.

2. डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश पर लौटने पर डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे, पुलिस माहनिरीक्षक, छसबल पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय रायपुर, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक एफ 01-48/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गिरधारी नायक, भापुसे (1993) अतिरिक्त महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं तथा अतिरिक्त महानिदेशक, नगरसेना, छ.ग. को दिनांक 17-05-2013 से दिनांक 14-06-2013 (29 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 एवं 16-06-2013 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नायक आगामी आदेश तक अतिरिक्त महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. तथा अतिरिक्त महानिदेशक, नगरसेना, छ.ग. के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री नायक, को वही वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व मिलते थे.

4. श्री गिरधारी नायक, भापुसे (1993) अतिरिक्त महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ.ग. तथा अतिरिक्त महानिदेशक, नगर सेना छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ.ग. का प्रभार श्री अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को तथा नगर सेना छ.ग. का प्रभार श्री आर. सी. पटेल, महानिरीक्षक, नगरसेना, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरधारी नायक, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक एफ 01-68/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पवनदेव, भापुसे (1993) पुलिस महानिरीक्षक, रेल/प्रशिक्षण/यातायात/दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 21-05-2013 से दिनांक 07-06-2013 (18 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08 एवं 09-06-2013 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पवनदेव आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, रेल/प्रशिक्षण/यातायात/दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पवनदेव को वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व मिलते थे.

4. श्री पवनदेव, भापुसे (1992) पुलिस महानिरीक्षक, रेल/प्रशिक्षण/यातायात/दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, रेल/प्रशिक्षण/यातायात/दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, रायपुर का प्रभार श्री अरूणदेव गौतम, महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवनदेव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2013

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (1932 का नंबर-9) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-01-2013 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा-1 की पांचवी पंक्ति में शब्द कॉलम (3) के स्थान पर शब्द कॉलम (4) प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-तीन में,—

सरल क्रमांक 1 के कालम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान (प्राणीशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र) या कृषि शास्त्र या सेरीकल्चर विषय (बी.एस.सी. जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान/सेरीकल्चर) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52 दिनांक 13-2-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

Raipur, the 13th February 2013

No. F 1-4/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Direcotrate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In Schedule-III of the said rules,—

For the entries relating to column (6) of serial number 1, the following shall be substituted, namely :—

"Minimum Second Division in Graduation in Biology (Zoology or Botany) or Agriculture or Sericulture Subject (B.Sc. Biology/Agriculture/Sericulture) from any recognized University."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक 358 क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सिरियागढ़ प.ह.नं. 11	2.81	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण संभाग क्र. 1, खरसिया, जिला-रायगढ़.	साराडीह बैरॉज योजना के अंतर्गत सिरियागढ़-माजरकूद मार्ग पर बोराई ब्रिज निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक 359 क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	माजरकूद प.ह.नं. 11	1.77	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण संभाग क्र. 1, खरसिया, जिला-रायगढ़.	साराडीह बैरॉज योजना के अंतर्गत सिरियागढ़-माजरकूद मार्ग पर बोराई ब्रिज निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक/1931/कले/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	मोहपुर	0.98	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	हटकुल व्यपवर्तन योजना हेतु.

कांकेर, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक/1934/कले/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	सिंगारभाट	0.70	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	हटकुल व्यपवर्तन योजना हेतु.

कांकेर, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/2066/भू-अर्जन/कले./2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कन्हनपुरी	7.32	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उत्तर बस्तर कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण.

कांकेर, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/2069/भू-अर्जन/कले./2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर / कांकेर	नरहरपुर	शामतरा	0.57	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उत्तर बस्तर कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 मई 2013

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तेन्दुआ प.ह.नं. 32	384/19	0.056	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर.	हीरापुर - तेन्दुआ - गुमा मार्ग लंबाई 4.10 कि.मी. का निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			384/37	0.016		
			384/39	0.024		
			384/40	0.032		
		योग	**4**	**0.128**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक/1289/अ.भू. अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पंचदेवरी प.ह.नं. 40	0.020	कार्यपालन अभियन्ता, लो. नि. वि. सेतु सं., राजनांदगांव (छ.ग.)	खपरी-पंचदेवरी मार्ग में खपरीनाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	उल्खर प.ह.नं. 08	3.702	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	खुण्डी नाला व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक/228/प्र-1/अ.वि.अ./4/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-पाटन

(ग) नगर/ग्राम-कसही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.989 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	131/7	0.295
	131/14	0.295
	131/5	0.295
	131/12	0.295
	131/03	0.295
	131/10	0.295
	131/11	0.295
	131/4	0.295
	131/1	0.295
	131/6	0.295
	131/13	0.295
	131/8	0.295
	131/15	0.295
	131/17	0.295
	131/19	0.295
	131/2	0.301
	131/9	0.300
	131/16	0.300
	131/18	0.300
	131/20	0.300
	131/21	0.300
	131/22	0.300
	131/23	0.301
	258/1	0.032
	262	0.080
	244/1	0.02
	258/2	0.030
योग	27	6.989

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कसही जलाशय के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1152/अ.भू-अ.प्र./05/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-लिटिया, प.ह.नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.98 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
87	0.30
92/1	0.11
88	0.15
114	0.06
173	0.20

	(1)	(2)
	92/2	0.12
	101	0.47
	112/1	0.20
	128/3	0.08
	128/2	0.24
	157/1	0.23
	157/2	0.22
	157/3	0.23
	157/4	0.22
	126	0.08
	130	0.07
योग	16	2.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिटिया जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1155/अ.भू-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-बोरई, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1827/2	0.21
	1827/1	0.20
योग	2	0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गनियारी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1158/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-बोरई, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	119/1	0.06
योग		0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगपुरा व्यपवर्तन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1161/अ.भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-दुर्ग
 (ग) नगर/ग्राम-बोरई, प.ह.नं. 03
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	488/2	0.02
योग		0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भेण्डरवानी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1164/अ.भू-अ.प्र./06/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-दुर्ग
 (ग) नगर/ग्राम-मोहलई, प.ह.नं. 06
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	301	0.04
	302	0.06
	314	0.07
	316	0.13
	319	0.04
	330	0.04
योग	06	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तीसरी रेल्वे लाईन मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1167/अ.भू-अ.प्र./07/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-दुर्ग
 (ग) नगर/ग्राम-बघेरा, प.ह.नं. 07
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
171/6	0.013
171/7	0.014
171/8	0.011
171/9	0.010
योग 04	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तीसरी रेल्वे लाईन मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 मई 2013

क्रमांक/284/प्र. 2/अ.वि.अ./2 अ-82/2011-12—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-किकिरमेटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
981	0.24
980	0.01
984/1	0.03
984/3	0.01
982	0.01
योग 5	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिलौटी एनीकट योजना के तहत प्रभावित भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक 356/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-01 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-बनसांकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1677	0.279
योग 1	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिमगा वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक 357/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-05 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.421 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	24/1	0.170
	24/2	0.162
	26	0.077
	27	0.012
योग	4	0.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बलौदाबाज़ार-भाटापारा के कि.मी. 11/4 में जमुनैया नाला पर उच्च स्तरीय पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक 358/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-04 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	384/6	0.292
योग	1	0.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बलौदाबाजार-भाटापारा के कि.मी. 11/4 में जमुनैया नाला पर उच्च स्तरीय पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र.क्र. 5 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-लकड़िया, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.469 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	451/10	0.202
	451/8	0.202
	451/11	0.065
योग	3	0.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र.क्र. 6 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-टीपावन, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.116 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	463/2	0.089
	441	0.380
	440/6	0.146
	440/5	0.469
	440/4	0.121
	361/4	0.101
	524/4	0.016
	361/1	0.101
	460/1	0.246
	460/5	0.097
	358/3	0.091
	403/2	0.259
योग	12	2.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 मई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र.क्र. 7 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-बलौदी, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.402 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	312/5	0.121
	312/3	0.101
	312/6	0.041
	309/3	0.061
	311/4	0.194
	311/2	0.146
	300	0.080
	297/2	0.113
	311/1	0.057
	292/1	0.041
	296/2	0.101
	296/3	0.194
	296/4	0.152
योग	13	1.402

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र.क्र. 4 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-चिरपोटा, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
169	0.024
302/1	0.130
95/1, 95/3	0.050
96	0.224
196/2	0.026
197	0.176
31/1ज	0.405
203	0.056
302/14	0.020
173	0.060
170/1	0.158
305	0.080
302/2, 302/13	0.240
364	0.108
310	0.016
366/1	0.008
199/1	0.072
200/2	0.080
196/3	0.077
369/1	0.316
206/3	0.004
98/1	0.132
370/1	0.012
206/1	0.121
311/2	0.040
202	0.343
174/3	0.012
97/2	0.202
369/2	0.224
98/3	0.008
370/3	0.202
306	0.044
309	0.060
171	0.004
302/9	0.187
311/1	0.068
172	0.101
363	0.012
206/2	0.060
98/2	0.004
196/1	0.020
302/5	0.189
373/2	0.020
174/4	0.195
29	0.080

	(1)	(2)
	30/1	0.055
	30/2	0.056
	30/3	0.024
	30/4	0.004
	200/4	0.004
	329	0.008
	201	0.148
	199/2	0.080
	195	0.020
	303	0.004
	170/2	0.170
योग	56	5.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र.क्र. 5 अ/82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनी, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.741 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157	0.048
	139	0.048
	192/2	0.303
	192/3	0.134
	190	0.012
	112/2	0.004
	181/2	0.202
	182	0.052
	127, 128, 129, 1810	0.425
	130	0.040
	208/1	0.101
	208/2	0.352
	191	0.032
	204	0.060
	205	0.105
	206	0.271
	194/1	0.168
	132	0.138
	156	0.016
	126	0.012
	133	0.061
	135/2	0.097
	111/1क	0.404
	131	0.020
	136	0.012
	124/1	0.032
	137	0.093
	181/1	0.032
	207	0.061
	155	0.004
	111/1ख	0.190
	138	0.093
	140/3, 1800	0.060
	112/3, 135/1	0.080
	192/1	0.312
	111/1ग	0.160
	189/1	0.303
	194/2	0.168
	135/3	0.032
	195/1	0.004
योग	31	4.741

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र.क्र. 6 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-मुण्डा, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.565 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	304/4	0.101
	312/2	0.110
	310	0.230
	304/3	0.020
	304/5	0.272
	304/6	0.156
	313/1	0.101
	315/2	0.040
	312/1	0.060
	313/2	0.055
	311/1	0.105
	315/1	0.097
	315/3	0.117
	304/8	0.101
योग	14	1.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र.क्र. 8 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-जामडीह, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.708 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
563/1, 564/1	0.073
566	0.114
6, 7	0.004
542/1	0.072
536	0.028
539, 540, 541	0.120
546/1	0.052
533/2	0.012
512/1	0.008
463	0.012
510	0.016
8, 9/1, 10/3	0.485
565/2	0.130
537	0.077
559/2, 588/2, 588/6	0.084
559/1, 588/1, 588/3	0.180
588/4	0.101
14/2, 47, 49/2	0.032
9/2, 10/5	0.060
585	0.008
538/2	0.154
10/2, 11	0.048
464	0.101
586/1	0.116
587/1	0.181
587/2	0.028

	(1)	(2)
	591, 592	0.080
	468	0.012
	469	0.105
	508	0.324
	509	0.061
	511	0.016
	14/4, 465/1, 465/2, 466	0.323
	520/1	0.217
	519	0.236
	520/2	0.202
	521	0.101
	470/1	0.240
	532	0.020
	470/2	0.113
	535	0.036
	538/1	0.154
	563/2, 564/2	0.032
	586/1	0.116
	589	0.012
	590	0.004
	14/3, 48	0.008
योग.	54	4.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सपोस, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.28 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2157/1	0.01
2156	0.05
1378/5	0.08
1377	0.06
1376	0.09
1375	0.06
1374/3	0.03
1343	0.02
1357, 1358	0.28
1356/2	0.02
1359	0.26
1356/1	0.09
1360/1	0.08
1360/2	0.08
1316/1	0.02
1316/3	0.10
1313	0.15
1312	0.06
1469	0.38
1468	0.36
1483/1	0.04
1483/2	0.11
1471	0.12
1473/1	0.01
1473/2	0.01
1473/3	0.01
1473/4	0.01
1473/5	0.01
1472/2	0.08
1472/1	0.03
1262/2	0.20
1261	0.13
1260	0.10
1259/1	0.08

	(1)	(2)
	1258	0.06
योग	35	3.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन **योजना के बगरैल सब** माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल **संसाधन संभाग, रायगढ़** के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सपोस, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.37 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	2160/5	0.06
	2160/6, 2160/7	0.04
	2159/2	0.06
	2159/4	0.04
	2157/1	0.01
	2157/2	0.01
	2157/3	0.01
	2157/4	0.02
	2157/5	0.02
	2158/1, 2158/2	0.13
	1341	0.03
	2163/1	0.10
	2163/2, 2164/2	0.03
	2164/1	0.10
	2166	0.06
	1333/3	0.01
	1332/3	0.25
	1332/5	0.02
	1331	0.20
	1330	0.07
	2171/3	0.02
	2171/4	0.02
	2172/1	0.01
	2172/2	0.05
योग	24	1.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के बगरैल माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-लटेसरा, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
197	0.04

	(1)	(2)
	216	0.04
	223	0.09
	222, 236, 237	0.07
	241	0.16
	246	0.07
	251/3	0.12
	252/1	0.14
	251/5	0.01
	258/2	0.26
	260	0.01
	261, 262/1	0.14
	263	0.08
	265/1	0.01
	265/2	0.09
	267	0.05
	268	0.09
योग	17	1.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के मौहापाली माइ. क्र. 2 निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कांशीडीह, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1	0.13
	4	0.09
	5	0.17
	8/2	0.09
	8/1	0.10
	9/1	0.08
	9/3	0.07
योग	7	0.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के कांशीडीह माइ. क्र. 1 निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	106/2	0.09
योग	1	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना के किरारी माइ. क्र. 1 निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक 02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटमी सोनार, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	2675/6	0.405
योग	1	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला जलाशय योजना डूबान के अन्तर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-कल्याणपुर, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	95	0.073
	108	0.332
योग	2	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला जलाशय योजना डूबान के अन्तर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मई 2013

प्र. क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मरौनी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.551 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
941/1ख	0.008
941/1ग	0.008
943	0.020
945/1	0.008
945/4	0.004
946/1	0.012
946/2	0.012
1123	0.008
1124/3	0.008
1133/2	0.004

(1)	(2)
1599/1	0.049
1599/2	0.045
1599/4	0.020
1599/6	0.105
1599/8	0.004
1600/1	0.061
1600/2	0.040
1600/3	0.081
1609	0.016
1610/2	0.004
1610/4	0.097
1611	0.016
1612	0.036
1613	0.049
1614	0.073
1615	0.008
1631, 1632/1, 1632/2, 1632/3	0.012
1633	0.008
1634/1	0.012
1634/2	0.061
1634/3	0.012
1634/4	0.008
1635/1	0.065
1635/2	0.065
1662/1	0.004
1667/1	0.004
1668	0.008
1669/1	0.040
1669/2	0.020
1669/3	0.012
1677/1	0.024
1677/2	0.008
1677/3	0.008
1677/4	0.012
1677/5	0.016
1677/6	0.016
1681	0.081
1682	0.045
1683/1, 1683/2, 1683/3	0.016
1684/1, 1684/2	0.040
1684/3	0.008
1685/2	0.004
1685/3	0.004
1692	0.049
1693	0.036
1694	0.057
योग 56	1.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा में महानदी मिरौनी बैराज के लिए सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-टेमटेमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.379 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27/2	0.045
88	0.049
90	0.265

(1)	(2)
114/1ख	0.020
योग 4	0.379

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-टर्न की के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में.देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-खरसिया
 (ग) नगर/ग्राम-चपले
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
723/2	0.049
725/1	0.053
725/2	0.045
725/5, 725/6	0.020
726/1	0.020
726/4	0.020
726/5	0.012
726/3ख	0.012
726/7ख	0.012
726/6क	0.006
726/6ख	0.006
726/9, 726/10	0.012
726/8ख	0.012
योग 13	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-टर्न की के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-धरमजयगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-सकालो
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45	0.052
47/3क, 47/3ख	0.352
47/65क	0.273
47/14ख	0.054
47/24	0.154
46	0.604
47/3ग	0.020
47/65ख	0.172
47/63	0.040
47/15	0.364
47/1	0.231
47/12	0.196
47/62	0.142
47/60	0.061

	(1)	(2)
	44/3	0.016
	44/6, 46/10	2.035
	47/27	0.040
	47/14क	0.097
	47/23	0.121
	44/4	0.008
योग	16	5.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो जलाशय निर्माणाधीन योजना के डूबान क्षेत्र के अन्तर्गत भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-रैबार, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	224	0.049
योग	1	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कठली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-चिखली, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.058 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
82/5	0.049
112/4	0.049
123/5	0.032
240/2	0.077
244/1	0.012
279/2	0.010
289/3	0.028
340/3	0.013
123/3	0.048
258/2	0.033
88/4	0.049
120/5	0.048
123/9	0.069
240/3	0.076
258/1	0.004
280/4	0.016
302/2	0.020
82/1क	0.028
123/13	0.032
340/6	0.020
89/8	0.049
121/4	0.040
251/3	0.012
242/1	0.012
278/2	0.069
289/2	0.012

	(1)	(2)
	303/3	0.021
	112/3	0.049
	315/2	0.038
	340/2	0.043
योग	30	1.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कठली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-लोहड़ापानी, प.ह.नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.909 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	413	0.008
	297	0.089
	278/1	0.012
	277	0.060
	255	0.012
	820/1	0.117
	478	0.065
	838	0.121
	580	0.028
	822	0.020
	606	0.012
	622	0.057
	633	0.049
	412	0.008
	280	0.024
	608/2	0.061
	833	0.061
	258	0.190
	260/2	0.032
	481	0.117
	840	0.263
	578	0.040
	820/3	0.024
	640	0.032
	629	0.040
	390	0.142
	256	0.061
	278/2	0.028
	817	0.061
	260/1	0.028
	264	0.045
	569	0.089
	926	0.121
	812/1	0.049
	824	0.045
	624	0.024
	635	0.032
	298	0.040
	257	0.016
	276	0.024
	818	0.049
	261/1	0.154
	484	0.008
	836/2	0.020
	579	0.040
	820/2	0.117
	609/1	0.057
	623	0.024
	634	0.093
योग	49	2.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-लोहड़ापानी जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर एवं शाखा नहर क्र. 1 व 2 के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-लैलूंगा, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.752 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	312/7	0.049
	416/1	0.121
	406/1	0.101
	342/1	0.220
	367/2	0.065
	312/13	0.158
	416/2	0.073
	426/2	0.085
	372/2	0.032
	367/4	0.114
	418/1	0.097
	410/2	0.202
	403	0.024
	372/3	0.040
	453/1	0.036
	417/1	0.073
	414	0.125
	402/2	0.036
	373	0.101
योग	19	1.752

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-झरन जलाशय योजना के बायीं तट नहर निर्माण चैन क्र. 79 से 136 तक के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-पोटेबिरनी, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.538 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	296	0.016
	301	0.105
	21	0.202
	353	0.096
	297	0.154
	24	0.236
	16	0.069
	298	0.024
	15	0.134
	17	0.101
	300	0.170
	27	0.012
	7	0.219
योग	13	1.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण पोटेबिरनी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर अन्तर्गत प्रभावित भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-परसरामपुर, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.079 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	79/7ख	0.053
	79/7क	0.026
योग	2	0.079

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूरजगढ़, नदीगांव मार्ग कि.मी. 1/6 मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुर, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.920 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	111/2	0.028
	195/2ख	0.08
	129/1	0.081
	176/1	0.002
	129/5	0.020
	168	0.002
	195/2क	0.008
	111/1	0.012
	108	0.024
	112	0.089
	129/2	0.020
	180	0.162
	196/1	0.065
	195/2ग	0.008
	111/3	0.012
	110/2	0.008
	130/1	0.08
	129/3	0.020
	192, 193	0.129
	196/2, 197	0.049
	198, 199	0.020
	128/1	0.097
	109	0.012
	129/4	0.020
	169	0.002
	167/2	0.002
	166/1घ	0.004
	110/1	0.008
योग	28	0.920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिरौनी बैराज के दायें तट पर सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लेबड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.567 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	528/1	0.077
	527	0.085
	521	0.275
	528/2	0.012
	567/11	0.014
	532/1घ	0.040
	567/6ख	0.016
	579	0.020
	567/8	0.020
	522	0.008
योग	10	0.567

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंडरी देवरी मार्ग पर मांड नदी पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रानीगुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/1क	0.008
211	0.117
244/1	0.162
250	0.032
309	0.012
204/1क/33	0.024
204/1क/32	0.053
315	0.024
11/2	0.045
240/1क	0.101
244/2	0.024
251/3	0.012
252	0.040
204/1क/26	0.028
204/1घ	0.081
317	0.016
12/1क	0.036
240/4	0.049
244/3	0.020
253	0.016
254	0.020
204/1क/24	0.028
239/1	0.024
314/1	0.008
12/2	0.073
243/1	0.024
204/1क/22	0.069
204/1क/30	0.069
204/1क/27	0.053
204/1क/25	0.053
238/1	0.040

	(1)	(2)
	204/1ग	0.024
योग	32	1.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंझर देवरी मार्ग पर मांड नदी पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पंझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.861 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	108/2, 109/2	0.121
	108/1, 109/1/2	0.040
	105	0.251
	108/1, 109/1/3	0.012
	107/2	0.069
	98/1	0.230
	108/1, 109/1/1	0.138
योग	7	0.861

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नंदेली चपले मार्ग पर पथरी नाला पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नंदेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.308 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	178/1	0.105
	178/2क	0.049
	178/2ख	0.053
	178/3	0.101
योग	4	0.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नंदेली चपले मार्ग पर पथरी नाला पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-उसरौट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.278 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
254	0.121
252	0.008
255	0.081
254/3	0.020
253	0.024
254/4	0.024
योग 6	0.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जामपाली उसरौट मार्ग पर डोलवा नाला पहुंच मार्ग पर सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्रमांक/1603/विशेष क्षेत्र/न.ग्रा.नि./2013.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा (15) की उपधारा (1) के अनुसरण में बिल्हा निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्रों का प्रकाशन सूचना क्रमांक-522/नग्रानि./2013 दिनांक 02-02-13 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बिल्हा निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप में तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बिल्हा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर : ग्राम मोहभट्ठा, केसला तथा हिर्री निपनिया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम : ग्राम हिर्री, निपनिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण : ग्राम हिर्री, निपनिया, केसला, पाथरखान तथा उमरिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व : ग्राम उमरिया, बिल्हा तथा मोहभट्ठा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

Bilaspur, the 8th April 2013

No./1603/T&CP/2013.—The existing Land use map and register for the Bilha Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 522/T&CP/2013 date 02-02-13.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use map of Bilha so prepared and published are duly adopted by the Director, Town and Country Planning under the provision of sub section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Bilha Planning Area Limits

NORTH :	Village Mohbhattha, Kesla, Hirri and up to the north limit of village Nipaniya.
WEST :	Village Hirri, Kesla and up to the western limits of villages Nipaniya.
SOUTH :	Village Hirri, Nipaniya, Kesla, Patharkhan and up to the southern limits of village Umariya.
EAST :	Village Umariya, Bilha and upto the Estern limits of village Mohbhattha.

बिलासपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्रमांक/1606/विशेष क्षेत्र/न.ग्रा.नि./2013.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा (15) की उपधारा (1) के अनुसरण में मुंगेली निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्रों का प्रकाशन सूचना क्रमांक-529/नग्रानि./2013 दिनांक 02-02-13 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुंगेली निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप में तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

मुंगेली निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	:	ग्राम करही, भरकुण्डा, बिरगांव, घुटेरा, सूरीघाट, देवगांव तथा सुरधा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व	:	ग्राम रेहुंटा, रामगढ़ तथा करही ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण	:	ग्राम रामाकापा, दुलहिनबाप, जेठूकापा तथा रेहूंटा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम	:	ग्राम सुरधा, मोहतरा, नवागांव, हेडसपुर तथा रामाकापा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

Bilaspur, the 8th April 2013

No./1606/T&CP/2013.—The existing Land use map and register for the Mungeli Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 529/T&CP/2013 date 02-02-13.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use map of Mungeli so prepared and published are duly adopted by the Director, Town and Country Planning under the provision of sub section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Mungeli Planning Area Limits

NORTH : Village Karhi, Bharrakunda, Birgaon, Ghutera, Surighat, Devgaon and up to the north limit of village Surdha.

WEST : Village Surdha, Mohtara, Nawagaon, Hedaspur and up to the western limits of village Ramakapa.

SOUTH : Village Ramakapa, Dulhinbaap, Jhethukapa and up to the southern limits of village Rehuta.

EAST : Village Rehuta, Ramgarh and up to the Estern limits of village Karhi.

जे. सी. निदारिया,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 मई 2013

क्रमांक 948/अरपा साडा/2013-14.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी प्रति संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर, तहसील कार्यालय तथा अरपा निवेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण पिंगले भवन नेहरू चौक बिलासपुर (छ.ग.) में दिनांक .... कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अरपा निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम घुटकू, लमेर, लक्षनपुर, लोफंदी एवं कछार के नदी तट भाग की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कछार, सेंद्री, कोनी, सरकंडा, चांटीडीह, लिंगियाडीह एवं मोपका के नदी तट भाग की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मोपका, दोमुहानी, देवरीखुर्द एवं तोरवा के नदी तट भाग की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम तोरवा, जूना बिलासपुर, कुदुंदण्ड, मंगला, लोखण्डी, तुर्काडीह, निरतु एवं घुटकू के नदी तट भाग की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो कार्यालय अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पिंगले भवन नेहरू चौक बिलासपुर (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल— कार्यालय अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पिंगले भवन नेहरू चौक बिलासपुर (छ.ग.)

Bilaspur, the 23rd May 2013

No. 948/ASADA/2013. Notice is hereby given that existing land use maps for the Arpa Special Area Development Authority, Bilaspur (C.G.) has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection W.E.F. .... in Office of Commissioner, Collector, Joint Director, T. & C.P. Bilaspur, Arpa Special Area Development Authority, Pingle Bhawan Nehru Chowk Bilaspur (C.G.) during Office hours on working days. The limits of Arpa Special Area Development Authority, Bilaspur (C.G.) are detailed in Schedule given below :- –

Arpa Special Area Development Authority Bilaspur (C.G.)

SCHEDULE

NORTH	:	Village Ghutku, Lamer, Lachhanpur, Lofandi up to the Northern Limits of River Kachhar.
EAST	:	Village Kachhar, Sendri, Koni, Sarkanda, Chantideeh, Lingiadih up to the Eastern limits of River Mopka.
SOUTH	:	Village Mopka, Domuhani, Devarikhurd up to the Southern limits of River Torwa.
WEST	:	Village Torwa, Juna Bilaspur, Kududand, Mangla, Lokhandi, Turkadeeh, Nirtu up to the western limits of River Ghutku.

If thereby any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to tha Arpa Special Area Development Authority, Bilaspur (C.G.) or at the Exhibition place within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazatte.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified above will be considered by the Director.

Inspection Site—Arpa Special Area Development Authority, Pingle Bhawan Nehru Chowk, Bilaspur (C.G.)

अवनीश कुमार शरण

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत छ.ग. शासन द्वारा गठित)

सेक्टर-3, सी-12, देवेन्द्रनगर रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक/औकाफ/590/2013.—आम सूचना के जरिए अंजुमन-ए-सैफी बदरी बोहरा जमात, कमेटी, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.) की मौदहापारा/पुराना रिखियापारा, रायपुर स्थित वक्फ सम्पत्ति के संबंध में हितग्राही पक्षकारों सहित सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अंजुमन ए सैफी बदरी बोहरा जमात, कमेटी, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.) की मौदहापारा/पुराना रिखियापारा, रा [illegible]र स्थित वक्फ, सम्पत्ति खसरा नं. 435/1, रकबा 3.66 एकड़ का अंश 90000 वर्गफुट भूमि जिसे संस्था विक्रय करना चाहती है. जिसकी प्राप्त [illegible]य को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति के उचित विकास एवं जनकल्याण में, वक्फ सम्पत्तियों की आय बढ़ाने में लगाया जाएगा जिसके लिये बोर्ड से अनुमति चाही गई है.

अत: इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो छ.ग. राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित दिनांक से 15 दिवस तक अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखित में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड सी-12, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर रायपुर को प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 29-05-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

एस. ए. फारूकी,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन के पास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक एफ 37- 21/तीन (एक)-3/पंचा./रानिआ/2013/583.—छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा प्रदेश के रायपुर संभाग एवं बस्तर (जगदलपुर) संभाग अंतर्गत जिलों के लिये परिशिष्ट-एक में उपनिर्वाचन एवं परिशिष्ट-दो में आम निर्वाचन हेतु संलग्न सूची में दर्शाये गये जिला/जनपद पंचायत सदस्यों/सरपंचों/पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये आम निर्वाचन/उप निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन (5)	समय (6)
1.	(I) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	28	03-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(II) नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना	28	03-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से
	(III) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	03-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(IV) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	03-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 (क)	10-06-2013	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि.	28 (ख)	11-06-2013	मंगलवार	प्रात: 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28 (ग)	13-06-2013	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	13-06-2013	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे के बाद
6.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	13-06-2013	गुरुवार	प्रतीक आवंटन के तुरन्त बाद
7.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	24-06-2013	सोमवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
8.	मतगणना (1) मतदान केन्द्रों पर	28 (ङ)	24-06-2013	सोमवार	मतदान समाप्ति के बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		26-06-2013	बुधवार	अपरान्ह 3.00 बजे से
9.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (1) पंच, सरपंच/जनपद पंचायत/जिला पंचायत सदस्य के मामले में.	28 (च)	27-06-2013	गुरुवार	प्रात: 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में)

हस्ता./-

(आई. आर. देहारी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की संशोधित जानकारी दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में

		संभाग-रायपुर एवं बस्तर (जगदलपुर)				
क्र.	जिला	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच	कुल पदों का योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	—	—	4	14	18
2.	बलौदाबाजार	—	—	6	23	29
3.	गरियाबंद	1	1	3	12	17
4.	महासमुन्द	—	—	2	16	18
5.	धमतरी	—	—	7	17	24
6.	बेमेतरा	—	—	9	24	33
7.	दुर्ग	—	—	2	16	18
8.	बालोद	—	—	5	29	34
9.	राजनांदगांव	—	1	8	58	67
10.	कबीरधाम	—	—	3	14	17
11.	कोण्डागांव	—	—	6	9	15
12.	बस्तर	—	—	1	23	24
13.	नारायणपुर	—	—	1	1	2
14.	कांकेर	—	—	9	121	130
15.	दन्तेवाड़ा	—	1	1	3	5
16.	सुकमा	—	—	—	—	—
17.	बीजापुर	—	3	13	82	98
	योग	1	6	80	462	549

परिशिष्ट-दो

आम निर्वाचन 2013

सूची

क्र.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	बलौदाबाजार	सिमगा	1. पौंसरी 2. खड़ुवा 3. दुलदुला
		बिलाईगढ़	1. टेढ़ीभदरा
2.	धमतरी	कुरूद	1. चर्रा 2. चरमड़िया 3. नवागांव
3.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1. पनेका 2. गठुला
4.	महासमुन्द	पिथौरा	लाखागढ़

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक एफ 44-08/तीन (एक)-10/पंचा./रानिआ/2013/589.—चूंकि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला मुंगेली द्वारा जनपद पंचायत मुंगेली के 04-जरहागांव जनपद पंचायत सदस्य के उप निर्वाचन 2013 के लिए दिनांक 03-05-2013 को आरक्षण की स्थिति के संबंध में प्रकाशित सूचना में त्रुटिवर्श "अनारक्षित मुक्त" के स्थान पर "पिछड़ा वर्ग मुक्त" का प्रकाशन हो जाने से निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हो जाने के फलस्वरूप जनपद पंचायत मुंगेली निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 04-जरहागांव जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना को निरस्त किया जाना प्रस्तावित करते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी करने की अनुशंसा की गई थी एवं छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 37-21/तीन (एक)-3/पंचा./2013/462 दिनांक 01 मई 2013 के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) मुंगेली द्वारा प्रकाशित जनपद पंचायत मुंगेली के 04-जरहागांव जनपद सदस्य के लिए आरक्षण संबंधी निर्वाचन की सूचना दिनांक 03 मई 2013 छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29क की अपेक्षा अनुसार नहीं होने से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) जिला मुंगेली द्वारा 04-जरहागांव जनपद सदस्य के उप निर्वाचन हेतु जारी निर्वाचन की सूचना दिनांक 03-05-2013 को शून्य घोषित करते हुए छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ/तीन (एक)-3/पंचा./2013/524 दिनांक 13 मई 2013 के द्वारा उक्त जनपद पंचायत मुंगेली के निर्वाचन क्षेत्र क्र. 04-जरहागांव के जनपद सदस्य के उप निर्वाचन के लिए संशोधित समय अनुसूची (कार्यक्रम) पृथक से जारी करने का निर्णय ली गई थी; अतएव छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42, सहपठित छ. ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा जिला मुंगेली अंतर्गत जनपद पंचायत मुंगेली के 04-जरहागांव जनपद पंचायत सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 सहपठित नियम 30 के अपेक्षानुसार निर्वाचन पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित संशोधित समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता हैं :—

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(I) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	28	03-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(II) नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना	28	03-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से
	(III) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	03-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(IV) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	03-06-2013	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 (क)	10-06-2013	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि.	28 (ख)	11-06-2013	मंगलवार	प्रात: 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28 (ग)	13-06-2013	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	13-06-2013	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे के बाद
6.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	13-06-2013	गुरुवार	**प्रतीक आवंटन के तुरन्त बाद**
7.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	24-06-2013	सोमवार	**प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक**
8.	मतगणना (1) मतदान केन्द्रों पर	28 (ङ)	24-06-2013	सोमवार	**मतदान समाप्ति के बाद**
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		26-06-2013	बुधवार	**अपरान्ह 3.00 बजे से**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (1) पंच, सरपंच/जनपद पंचायत/सदस्य के मामले में.	28 (च)	27-06-2013	गुरुवार	**प्रात: 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में)**

हस्ता./-

(आई. आर. देहारी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

इन्द्रावती खण्ड, दाऊ कल्याण सिंह भवन के सामने, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर.

विधि एवं विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 मई 2013

क्रमांक 150 ए/स्था./2013/2412.—**भारत के संविधान** के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ **के राज्यपाल, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ निर्वाचन (अराजपत्रित)** तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अंनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के सरल **क्रमांक 9 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा** जाये, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	पदों की कुल संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	ग्रेड वेतन (6)
"10.	सहायक प्रोग्रामर	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300
11.	ग्रंथपाल	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300"

2. **अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 9 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—**

विभाग का नाम (1)		सेवा/पद का नाम (2)	कर्तव्य पदों की कुल संख्या (3)	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत (4)	(5)
विधि विधायी (निर्वाचन)		छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी निर्वाचन सेवा			
	"10.	सहायक प्रोग्रामर	1	100%	—
	11.	ग्रंथपाल	1	100%	—"

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी निर्वाचन सेवा			
5.	सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/आईटी विषय में बी.ई./बी.टेक./एम.सी.ए. कम से कम 60% से उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कम से कम दो वर्ष का प्रोग्रामिंग का अनुभव होना अनिवार्य है.
6.	ग्रंथपाल	18 वर्ष	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	(1) बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफार्मेशन साइंस एवं एक वर्ष का कार्य अनुभव एवं कम्प्यूटर कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए.

Raipur, the 3rd May 2013

No.150 A/स्था./2013/2412.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Election (Non-Gazetted) Class-III Service Recruitment Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. After serial number 9 of Schedule-I, the following shall be added, namely :—

S. No.	Name of the post included in the Service	Total number of posts	Classification	Scale of Pay	Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"10.	Assistant Programmer	1	Class-III	9300-34800	4300
11	Librarian	1	Class-III	9300-34800	4300"

2. After serial number 9 of Schedule-II, the following shall be added, namely :—

Name of the Department	Name of the service/ post	Total number of duty posts	Percentage of the duty post to be filled in	
			By direct recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of the Substantive members of the Service [See Rule 6(1) (b)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Law Legislative (Election)	Chhattisgarh Class-III Election Service			
"10.	Assistant Programmer	1	100%	—
11.	Librarian	1	100%	—"

3. After serial number 4 of Schedule-III, the following shall be added, namely :-

S. No. (1)	Name of Service/post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)
	Chhattisgarh Class-III Election Service			
5.	Assistant Programmer	18 year	30 (35 Years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Should have passed B.E./B.Tech./ MCA in CS/IT subject from any recognized University with at least 60% and at least 2 years Programming experience is compulsory.
6.	Librarian	18 year	30 (35 Years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Bachelor of library and information Science and 1 year work experience and should have full knowledge of Computer work.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, पदेन प्रमुख सचिव.

सुनील कुमार कुजूर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्रमांक 3087/ज्ये.लि.-1/2013.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, अन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारम्भ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की सम्भावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ:माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज, रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.